संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–2/2014/ भोपाल, दिनांक /11/2014

// आदेश //

डॉ0 विद्या जोधपुरकर, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, इन्दौर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के तहत दिनांक 15.05.2013 से 04.10.2013 तक 153 दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र. द्वारा अनुमोदित।

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश 23-12-14

क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–2/2014/2214 भोपाल, दिनांक /12/2014
प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, म.प्र. शासन, लो. स्वा. एवं प. क. विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र.।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर म.प्र.।
3. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला इन्दौर म.प्र.।
4. डॉ0 विद्या जोधपुरकर, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, इन्दौर, म.प्र.।
5. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय ।
6. आदेश नस्ति ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्य प्रदेश

क0 9/नर्सिंग/सेल–3/2014/1280 भोपाल दिनांक 11/12/2014

– आदेश –

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा नर्सिंग संवर्ग के विभागीय ए.एन.एम. का जी.एन.एम. प्रशिक्षण एवं स्टाफ नर्स का बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया है। कर्मचारियों द्वारा 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत नियमानुसार निम्न कर्मचारियो को पात्रतानुसार 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश एवं उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई अवधि के अन्य अवकाश की स्वीकृति दी जाती है :–

क०	कर्मचारी का नाम/पद	मूल पदस्थापना स्थान	प्रशिक्षण /प्रशिक्षण केंद्र का नाम	प्रशिक्षणरत अथवा प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके	अध्ययन अवकाश की पात्रता/स्वीकृत अध्ययन अवकाश ।
1	श्रीमति सुनीता यादव (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता)	पी. एच. सी. बिलपाक, जिला रतलाम	जिला चि. रतलाम	प्रशिक्षणरत	दो वर्ष की अध्ययन अवकाश की पात्रता (22.02.2014 से 22.02.2016)
2	श्रीमति रामवती तेकाम (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता)	पी. एच. सी. कुन्डम, जिला जबलपुर	मेडिकल कालेज जबलपुर	प्रशिक्षणरत	दो वर्ष की अध्ययन अवकाश की पात्रता (28.02.2014 से 27.02.2016) अर्जित अवकाश 28.02.2016 से 24.06.2016 (120 दिन)
3	कुमारी कल्पना दास(महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता)	सी. एच. सी. टोकखुर्द, जिला देवास	जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर	प्रशिक्षणरत	दो वर्ष की अध्ययन अवकाश की पात्रता (25.02.2014 से 25.02.2016)
4	कुमारी मंजुला मर्सकोले (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता)	सी. एच. सी. टोकखुर्द, जिला देवास	जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर	प्रशिक्षणरत	दो वर्ष की अध्ययन अवकाश की पात्रता (25.02.2014 से 25.02.2016)
5	श्रीमति शीतल मसीह (स्टाफ नर्स)	जिला चिकित्सालय, बालाघाट	पोस्ट बेसिक बी. एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण /नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर	प्रशिक्षण पूर्ण	दो वर्ष की अध्ययन अवकाश पात्रता (23.09.2011 से 24.09.2013)

6	श्रीमति गायत्री रोहित (स्टाफ नर्स	जिला चिकित्सालय, देवास	एम. एस. सी. नर्सिंग प्रशिक्षणरत	प्रशिक्षणरत	अर्जित अवकाश (01.04. 2014 से 28.07.2014) 120 दिवस

जी.एन.एम. प्रशिक्षण एवं पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. एवं एम.एस.सी. नर्सिंग हेतु 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि के अध्ययन अवकाश स्वीकृति के अतिरिक्त आवेदिकाओं के व्यक्तिगत खाते में शेष उपलब्ध अवकाश को पात्रता अनुसार ही समायोजित किया जावे। शेष अवधि के अवकाश की पात्रता न होने की दशा में अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करें।

कृते संचालक(नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ0क0 9/नर्सिंग/सेल 3/14/1281 भोपाल दिनांक 11/12/2014

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सी.एम.ओ./सी.एस./बी.एम.ओ. ....की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित की सेवा पुस्तिका में स्वीकृत अध्ययन अवकाश को आवश्यक रूप से इंद्राज करने की कार्यवाही करें।

2. प्राचार्य, नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3. प्रभारी एम.आई.एस. की ओर स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।

4. संबंधित कर्मचारी।

कृते संचालक(नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./आना.अनु./फ.283/2014/ 129 भोपाल, दिनांक 31 /10/2014

आदेश

शासनादेश क्रमांक एफ 1-19/2012/17/मेडि-1 दिनांक 25.09.2013 के द्वारा डॉ0 एन0सी0 गुप्ता, शल्य क्रिया विशेषज्ञ की पदस्थापना जिला चिकित्सालय भिण्ड से परिवर्तित करते हुये, जिला चिकित्सालय श्योपुर की गई थी। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, भिण्ड द्वारा डॉ.गुप्ता को दिनांक 30.09.2013 को नवीन पदस्थापना स्थल के लिये कार्यमुक्त किया गया था। किंतु डॉ.गुप्ता द्वारा नवीन पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति नहीं दी गई एवं वे अपने कर्त्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये।

प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, श्योपुर द्वारा पत्र दिनांक 31.05.2014 के माध्यम से डॉ.एन.सी.गुप्ता की अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर डॉ. गुप्ता को संचालनालय के ज्ञाप क्रमाक 26 दिनांक 18.06.2014 द्वारा आरोप-पत्र जारी किये गये थे। डॉ. एन0सी0 गुप्ता द्वारा अपना प्रतिवाद उत्तर दिनांक 14.07.2014 को प्रस्तुत कर दिनाक 01.10.2013 से 03 माह की अवधि के लिये जारी किया गया अनफिट प्रमाण पत्र एवं आवकाश आवेदन प्रस्तुत कर स्वंय की बीमारी के कारण अनुपस्थित रहना दर्शाया गया तथा समक्ष सुनवाई का अवसर चाहा गया है। डॉ.गुप्ता द्वारा अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर दिनांक 12.07.2014 को उपस्थिति दी गई है।

डॉ.गुप्ता को समक्ष में सुना गया उनके द्वारा अवगत करवाया गया कि वे वास्तविक रूप से बीमार थे। अतः दिनांक 01.10.2013 से 03 माह के लिये उनके द्वारा चिकित्सकीय अवकाश आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

डॉ0एन0सी0 गुप्ता के प्रकरण के परीक्षण उपरान्त वे दिनांक 01.01.2014 से 13.07.2014 की अवधि हेतु अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये गये हैं। अतः दिनांक 01.10.2013 से 3 माह तक लघुकृत अवकाश स्वीकृत कर एवं अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि दिनाक 01.01.2014 से 13.07.2014 स्थानांतर बाधित होने के कारण आकार्य दिवस (Dies-non) घोषित करते हुये प्रकरण समाप्त किया जाता है।

(स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित)

31/10/14

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्यसेवायें, मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./अना.अनु./फ.282/2014/ भोपाल, दिनांक /10/.2014
<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-</u>

1. सचिव म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय भेपाल।
2. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर।

3. उप संचालक (विज्ञप्त)स्थानीय कार्यालय।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्योपुर/भिण्ड।
5. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, श्योपुर/भिण्ड।
6. जिला कोषालय अधिकारी श्योपुर/भिण्ड
7. डॉ0 एन0सी0 गुप्ता शल्य क्रिया विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय श्योपुर जिला श्योपुर ।
8. प्रभारी, एम.आई.एस. डिवीजन, स्थानीय कार्यालय की ओर भेज कर लेख है कि भेजे जा रहे आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
9. आदेश नस्ति।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

क्र./01/विज्ञप्त/सेल–5/2014/ भोपाल, दिनांक /10/2014

–: **आदेश** :–

लोक सेवा आयोग से चयन पश्चात, शासन आदेश क्रमांक 2–2/2011/सत्रह/मेडि–एक दिनांक 19.04.2011 के द्वारा डॉ विनय वास्कले, चि0अ की पदस्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरला जिला बड़वानी की गई थी। डॉ विनय वास्कले, चि0अ0 द्वारा दिनांक 03.05.2011 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय बड़वानी में उपस्थित प्रस्तुत की गई ।

डॉ विनय वास्कले, चि0अ0 का चयन एम0एस0सर्जरी अध्ययन हेतु होने के कारण डॉ वास्कले, निरंतर कार्य संपादित नहीं कर सके । डॉ वास्कले. द्वारा एम0एस0सर्जरी पूर्ण करने के उपरांत पुनः कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति चाही है।

विभाग में चिकित्सकों की कमी एवं शैक्षणिक योग्यता की उपयोगिता के दृष्टिगत् डॉ विनय वास्कले, चि0अ0 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वरला जिला बड़वानी को जिला चिकित्सालय खरगौन में कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है। डॉ विनय वास्कले, चि0अ की सा0स्वा0के0 वरला जिला बड़वानी से अनुपस्थिति दिनांक से जिला चिकित्सालय खरगौन में कार्यग्रहण करने की दिनांक तक की अवधि को अकार्य दिवस (डाइजनॉन) मान्य किया जाता है।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

पृष्ठा. क्र./01/विज्ञप्त/ सेल–5/2014/1799 भोपाल, दिनांक 07/10/2014

प्रतिलिपि : – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

01. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल।
02. मिशन संचालक(एन0आर0एच0एम0/आर0सी0एच0),तृतीय तल, बैंक ऑफ इण्डिया भवन,जेल रोड, भोपाल।
03. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर म0प्र0।
04. जिलाध्यक्ष, जिला बड़वानी/खरगौन मध्यप्रदेश ।
05. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बड़वानी/खरगौन म0प्र0, आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला बड़वानी/खरगौन म0प्र0।
07. जिला कोषालय अधिकारी, जिला बड़वानी/खरगौन म0प्र0।
08. प्रभारी अनाधिकृत अनुपस्थित शाखा, स्थानीय कार्यालय,म0प्र0।
09. संबंधित डॉ विनय वास्कले, चि0अ0 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बड़वानी ,म0प्र0।
10. प्रभारी (एम0आई0एस0), स्थानीय कार्यालय, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. आदेश नस्ती।

07/10/14

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
म0प्र0

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2014 / भोपाल, दिनांक / 7 / 2014

:: आदेश ::

डॉ0 वाय.पी. पटेल, अस्थिरोग विशेषज्ञ का स्थानांतरण संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के पृ. आदेश क्र. एक / विज्ञप्त / सेल–5 / 2013, दिनांक 1840, दिनांक 04.12.2013 के द्वारा जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल से प्रशासकीय कार्य दृष्टि से सिविल अस्पताल, बैरागढ़, भोपाल में किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में डॉ0 पटेल द्वारा दिनांक 05.03.2014 को सिविल अस्पताल, बैरागढ़ में कार्यभार ग्रहण किया गया।

डॉ0 पटेल द्वारा दिनांक 05.12.2013 से 08.12.2013 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 09.12.2013 से 04.03.2014 तक 86 दिवस का चिकित्सा आधार पर लघुकृत अवकाश स्वीकृति हेतु प्रकरण चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित प्राप्त हुआ है, परीक्षण एवं विचारोपरांत डॉ0 वाय.पी. पटेल की अवकाश अवधि दिनांक 05.12.2013 से 04.03.2014 स्थानांतरण बाधित है । अतः उक्त अवधि को आवजनान किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित

\\

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन),
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2014 / 1821 भोपाल, दिनांक ~~/7/~~ 13-10-14 / 2014

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संभाग भोपाल, के पत्र क्रमांक / संभाग / स्था.जी. / 14 / 4559, दिनांक 24.05.2014 के संबंध में।
3. अधीक्षक,सिविल अस्पताल, बैरागढ़, जिला भोपाल, म.प्र. की ओर लेख है कि डॉ0 वाय.पी. पटेल, अस्थिरोग विशेषज्ञ की मूलतः सेवापुस्तिका उक्त आदेश की प्रविष्टि की जावें।।
4. डॉ0 वाय.पी. पटेल, अस्थिरोग विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल, बैरागढ़, जिला भोपाल।
5. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय ।
6. आदेश नस्ति ।

13/10/14

अपर संचालक (प्रशासन),
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अना.अनु./फ.143/2014/ भोपाल, दिनांक /10/2014

आदेश

डॉ. श्रीमती आशा जैन, सेवा निवृत्त स्त्रीरोग विशेषज्ञ, शहडोल के दिनांक 04.06.2003 से बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने संबंधी सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शहडोल के पत्र दिनाक 06.03.2006 के माध्यम से प्राप्त होने पर संचालनालय के ज्ञाप क्रमांक 1130 दिनांक 09.06.2006 द्वारा डॉ. श्रीमती आशा जैन को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। डॉ. श्रीमती आशा जैन द्वारा अपना प्रतिवाद उत्तर दिनांक 26.06.2006 को प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनाक 04.06.2003 से 01/01/2006 कुल 942 दिवस स्वंय की बीमारी के कारण अनुपस्थित रहना दर्शाया गया है।

डॉ. आशा जैन द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो जाने के लगभग ढाई वर्ष से अधिक की अवधि के पश्चात् अवकाश आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं आवेदन पत्र के साथ पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट है कि डॉ. जैन अनाधिकृत रूप से अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहीं हैं। डॉ. आशा जैन स्थानांतरित स्थल पर उपस्थिति देने से बचने के लिये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति रहीं हैं।

मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 6-2/2004/1-9 दिनाक 30.01.2004 द्वारा जारी स्थायी स्थानांतर नीति के बिन्दु क्रमांक 07 अनुसार स्थानांतरित अधिकारियों को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जाएगा परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में चिकित्सा अवकाश मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा। शासकीय सेवक अन्य अवकाश के लिए आवेदन करता है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है तो ऐसी अवधि को स्वैच्छिक अनुपस्थिति मानकर डाइजनॉन मानी जायेगी।

डॉ. श्रीमती आशा जैन का प्रतिवाद उत्तर विचारोपरान्त समाधानकारक नहीं पाया गया तथा श्रीमती आशा जैन को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का दोषी पाया गया है।

अतः विचारोपरान्त प्रकरण के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मूलभूत नियम 18 सहपठित मध्य प्रदेश सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 1977 के नियम 24 के अंतर्गत डॉ. श्रीमती आशा जैन की दिनाक 04/06/2003 से 01/01/2006 तक कुल 942 की सेवा अवधि को अकार्य दिवस (Dies-non) करते हुये प्रकरण समाप्त किया जाता है।

(स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित)

10/10/14

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/अना.अनु./फ.143/2014/ 105 भोपाल, दिनांक 13 /10/2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर अनूपपुर ।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाये रीवा।
5. उप संचालक (विज्ञप्त) स्थानीय कार्यालय।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनुपपुर/शहडोल ।
7. जिला कोषालय अधिकारी अनूपपुर/शहडोल ।
8. डॉ. श्रीमती आशा जैन सेवा निवृत्त स्त्रीरोग विशेषज्ञ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोतमा जिला अनूपपुर ।
9. प्रभारी, एम.आई.एस. डिवीजन, स्थानीय कार्यालय की ओर भेज कर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
10. आदेश नस्ति।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1–सी / विज्ञप्ति / सेल–2 / 2014 / भोपाल, दिनांक /9 / 2014

:: आदेश ::

डॉ0 राकेश पहाड़िया, चिकित्सा अधिकारी, सेठ गोविन्ददास चिकित्सालय, जिला जबलपुर का दिनांक 01.10.1997 से 17.12.1998 तक कुल 443 दिवस का चिकित्सा आधार पर अवकाश स्वीकृति हेतु प्रकरण चिकित्सा प्रमाण–पत्रों सहित प्राप्त हुआ है, परीक्षण एवं विचारोपरांत डॉ0 राकेश पहाड़िया दिनांक 01.10.1997 से 17.12.1998 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के कारण, उक्त अवधि को डायजनान किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन),
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक / 1–सी / विज्ञप्ति / सेल–2 / 2014 / 1706 भोपाल, दिनांक 23/9 / 2014
प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संभाग जबलपुर, म.प्र. ।
3. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जबलपुर, म.प्र. के पत्र कमांक / स्था.विज. / 2014 / 1120, दिनांक 21.02.2014 के संबंध में।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, मंडला की ओर लेख है कि डॉ0 राकेश पहाड़िया, चिकित्सा अधिकारी की मूलतः सेवापुस्तिका में उक्त आदेश की प्रविष्टि की जावे।
5. डॉ0 राकेश पहाड़िया, चिकित्सा अधिकारी, सेठ गोविन्ददास चिकित्सालय, जिला जबलपुर, म.प्र.।
6. प्रभारी एन.आई.एस., स्थानीय कार्यालय ।
7. आदेश नस्ति ।

अपर संचालक (प्रशासन),
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2014 / भोपाल, दिनांक /7/2014

:: आदेश ::

डॉ0 (श्रीमती) ममता परते, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, विदिशा का दिनांक 01.10.2012 से 24.10.2012 तक कुल 24 दिवस का चिकित्सा आधार पर अवकाश स्वीकृति हेतु प्रकरण चिकित्सा प्रमाण-पत्रों सहित प्राप्त हुआ है, परीक्षण एवं विचारोपरांत डॉ0 (श्रीमती) ममता परते की अवकाश अवधि दिनांक 01.10.2012 से 24.10.2012 स्थानांतरण बाधित है । अतः उक्त अवधि को डायजनान किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन),
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2014 / 1507 भोपाल, दिनांक 23-8-14 / 2014

प्रतिलिपि -- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संभाग भोपाल, के पत्र क्रमांक / संभाग / स्था.ओ. / 14 / 4555, दिनांक 24.05.2014 के संबंध में।
3. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय विदिशा, म.प्र. की ओर लेख है कि डॉ0 (श्रीमती) ममता परते, चिकित्सा अधिकारी की मूलतः सेवापुस्तिका में उक्त आदेश की प्रविष्टि की जावे।
4. डॉ0 (श्रीमती) ममता परते, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, विदिशा, म.प्र. ।
5. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय ।
6. आदेश नस्ति ।

अपर संचालक (प्रशासन),
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2014 / भोपाल, दिनांक /7/2014

:: <u>आदेश</u> ::

डॉ0 राजेश कुमार महेश्वरी, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, होशंगाबाद का दिनांक 24.11.2011 से 18.04.2012 तक कुल 146 दिवस का चिकित्सा आधार पर अवकाश स्वीकृति हेतु प्रकरण चिकित्सा प्रमाण–पत्रों सहित प्राप्त हुआ है, परीक्षण एवं विचारोपरांत डॉ0 राजेश कुमार महेश्वरी की अवकाश अवधि दिनांक 24.11.2011 से 18.04.2012 स्थानांतरण बाधित है । अतः उक्त अवधि को आयजनान किया जाता है।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित</u>

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन),
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2014 / 1367 भोपाल, दिनांक 21-8-14 /7/2014
प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, संभाग भोपाल, के पत्र क्रमांक / संभाग / स्था.जी. / 14 / 2438, दिनांक 08.04.2013 के संबंध में।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला होशंगाबाद, म.प्र. की ओर लेख है कि डॉ0 राजेश कुमार महेश्वरी, चिकित्सा अधिकारी की मूलतः सेवापुस्तिका में उक्त आदेश की प्रविष्टि की जावें।
4. डॉ0 राजेश कुमार महेश्वरी, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, होशंगाबाद, म.प्र. ।
5. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय ।
6. आदेश नस्ति ।

20/8/14

अपर संचालक (प्रशासन),
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2014 / भोपाल, दिनांक /7/2014

:: आदेश ::

डॉ0 रविन्द्र जैन, जिला टीकाकरण अधिकारी, हरदा को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 के तहत निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :–

1. दिनांक 29.09.2013 से 11.02.2014 तक 136 दिवस (लघुकृत्त अवकाश)।

डॉ0 रविन्द्र जैन, जिला टीकाकरण अधिकारी, की सेवा पुस्तिका में उक्त प्रविष्टि की जावें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन),
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2014 / 1370 भोपाल, दिनांक 21-8-14 /2014
प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संभाग भोपाल, के पत्र क्रमांक / संभाग / स्था.जी. / 14 / 4557, दिनांक 24.05.2014 के संबंध में।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला हरदा, म.प्र.।
4. डॉ0 रविन्द्र जैन, जिला टीकाकरण अधिकारी, जिला हरदा, म.प्र. ।
5. आदेश नस्ति ।
6. प्रभारी [illegible] (कि., [illegible])

अपर संचालक (प्रशासन),
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्य प्रदेश

क्र0 9/नर्सिंग/सेल–3/2014/775 भोपाल दिनांक 1/8/2014

– आदेश –

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा नर्सिंग संवर्ग की स्टॉफ नर्स एवं ए.एन.एम. का जी.एन.एम. प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया है। कर्मचारियों द्वारा 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत नियमानुसार निम्न कर्मचारियो को पात्रतानुसार 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश एवं उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई अवधि के अन्य अवकाश की स्वीकृति दी जाती है :–

क्र0	कर्मचारी का नाम/पद	मूल पदस्थापना स्थान	प्रशिक्षण/प्रशिक्षण केंद्र का नाम	प्रशिक्षणरत अथवा प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके	अध्ययन अवकाश की पात्रता/स्वीकृत अध्ययन अवकाश।
1	श्रीमति राजकुमारी तंवर	जिला चिकि. उज्जैन	स्कूल ऑफ नर्सिंग इंदौर	प्रशिक्षणरत	2वर्ष के अध्ययन अवकाश की पात्रता (दिनांक 24.02.14 से 24.02.16 तक) है।
2	श्रीमति आरती तिवारी	सी.एच.सी. पनागर जबलपुर	मेडिकल कॉलेज जबलपुर	प्रशिक्षणरत	2वर्ष के अध्ययन अवकाश की पात्रता (दिनांक 14.12.12 से 13.12.14 तक) एवं 14.12.14 से 13.4.15 तक 120 दिवस का अर्जित अवकाश है।
3	श्रीमति प्रियांशी मांझी	सी.एच.सी. पनागर जबलपुर	मेडिकल कॉलेज जबलपुर	प्रशिक्षणरत	2वर्ष के अध्ययन अवकाश की पात्रता (दिनांक 15.12.11 से 14.12.13 तक) एवं 15.12.13 से 13.4.14 तक 120 दिवस का अर्जित अवकाश है।

जी.एन.एम. प्रशिक्षण एवं पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. एवं एम.एस.सी. नर्सिंग हेतु 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि के अध्ययन अवकाश स्वीकृति के अतिरिक्त आवेदिकाओं के व्यक्तिगत खाते में शेष उपलब्ध अवकाश को पात्रता अनुसार ही समायोजित किया जावे। शेष अवधि के अवकाश की पात्रता न होने की दशा में अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करें।

संयुक्त संचालक(नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ0क्र0 9/नर्सिंग/सेल 3/14/775 भोपाल दिनांक 1/8/2014

प्रतिलिपि -- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सी.एम.ओ./सी.एस./बी.एम.ओ. ....की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित की सेवा पुस्तिका में स्वीकृत अध्ययन अवकाश को आवश्यक रूप से इंद्राज करने की कार्यवाही करें।

2. प्राचार्य, नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3. प्रभारी एम.आई.एस. की ओर स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।

4. संबंधित कर्मचारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

31/7/14

संयुक्त संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1—जी / विज्ञप्त / सेल—2 / 2014 /   भोपाल, दिनांक   / 06 / 2014

// आदेश //

डॉ0 दीपक पिप्पल, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तराना जिला उज्जैन को (01 वर्ष का अतिरिक्त अध्ययन अवकाश) सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 4—1 / 2003 / 55 / चिशि. / 1, दिनांक 28 जून 2003 अनुसार, पी.जी. पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अवकाश अधिकतम 02 वर्ष के स्थान पर 03 वर्ष का इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि उक्त पी.जी. पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत वे कम से कम 05 वर्ष शासकीय सेवा अनिवार्यतः करेंगे। साथ ही पूर्व में दिये गये संचालनालय आदेश क्र. / 1—जी / विज्ञप्त / सेल—4 / 2012 / 996, दिनांक 24.05.2012 में अंकित शर्तें भी लागू रहेंगी।

स्वास्थ्य आयुक्त, द्वारा अनुमोदित।

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1—जी / विज्ञप्त / सेल—2 / 2014 / 1019   भोपाल, दिनांक 11-7-14 / 06 / 2014

प्रतिलिपि — सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सचिव, म.प्र. शासन, लो. स्वा. एवं प. क. विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र.।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उज्जैन।
5. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, उज्जैन।
6. डॉ0 दीपक पिप्पल, चिकित्सा अधिकारी (पी.जी. छात्र) आर.डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज, उज्जैन, म.प्र.।
7. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
8. आदेश नस्ति।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–2/2014/ भोपाल, दिनांक /06/2014

// आदेश //

डॉ0 रचना दुबे, चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर को वर्ष 2013 से 2014 (पाठ्यक्रम अवधि की समाप्ति) तक, सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 4–1/2003/55/ चिशि./1, दिनांक 28 जून 2003 अनुसार, पी.जी. पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अवकाश अधिकतम 02 वर्ष के स्थान पर 03 वर्ष का इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि उक्त पी.जी. पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत वे कम से कम 05 वर्ष शासकीय सेवा अनिवार्यतः करेगी। साथ ही पूर्व में दिये गये संचालनालय आदेश क्र. /1–जी/विज्ञप्त/सेल–4/2011/1322, दिनांक 20.05.2011 में अंकित शर्ते भी लागू रहेंगीं।

स्वास्थ्य आयुक्त, द्वारा अनुमोदित।

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–2/2014/1007 भोपाल, दिनांक 27/06/2014

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, म.प्र. शासन, लो. स्वा. एवं प. क. विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र.।
2. संचालक, मध्यप्रदेश एड्स नियंत्रण सोसायटी, तिलहन संघ भवन, भोपाल, म.प्र.।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर।
5. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, इन्दौर।
6. डॉ0 रचना दुबे, चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर, म.प्र.।
7. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
8. आदेश नस्ति।

26/6/14

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–2/2014/ भोपाल, दिनांक /06/2014

// आदेश //

डॉ0 राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सिवनी को उनके स्वास्थ्य परीक्षण/जांच कराने हेतु दिनांक 28.06.2014 से 02.07.2014 तक (कुल 05 दिवस) का अवकाश स्वीकृत करते हुये दिल्ली जाने की अनुमति प्रदाय की जाती है।

स्वास्थ्य आयुक्त, द्वारा अनुमोदित।

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश 4-7-14

क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–2/2014/1048 भोपाल, दिनांक /06/2014
प्रतिलिपि -- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, म.प्र. शासन, लो. स्वा. एवं प. क. विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र.।
2. जिला कलेक्टर, सिवनी, म.प्र.।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सिवनी, म.प्र.।
5. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला सिवनी।
6. डॉ0 राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सिवनी, म.प्र.।
7. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
8. आदेश नस्ति।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश

क्र./01/विज्ञप्त/सेल–5/2013/840 भोपाल, दिनांक 3/06/2013

// आदेश //

इस आदेश के द्वारा डॉ. डी.एस. मल्होत्रा, सेवा निवृत्त चिकित्सा अधिकारी के दिनांक 01.09.2000से दिनांक 04.06.2003 की कर्त्तव्य से अनुपस्थित अवधि का निराकरण किया जा रहा है ।

वर्ष 2000 में डॉ मल्होत्रा केन्द्रीय जेल भोपाल में पदस्थ थे । इस दौरान संचालनालय के आदेश क्रमांक 1924 दिनांक 12.9.2001 के द्वारा उनका स्थानान्तरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बैतूल के अधीन किया गया । उपरोक्त आदेश के पालन में अधीक्षक, केन्द्रीय जेल के पत्र क्रमांक 5772 दिनांक 19.9.2001 के द्वारा इन्हे बैतूल हेतु कार्यमुक्त किया गया । कार्यमुक्त होने के उपरांत डॉ मल्होत्रा द्वारा स्थानांतरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया तथा उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध म0प्र0 राज्य प्रशासनिक अधिकरण में प्रकरण ओ0ए0/1039/2001 दायर किया । राज्य प्रशासनिक अधिकरण द्वारा दिनांक 10.2.2003 को पारित निर्णय के माध्यम से उक्त स्थानांतरण आदेश खारिज किया गया।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में संचालनालय के आदेश क्रमांक 714–715 दिनांक 05.05.2003 के द्वारा डॉ मल्होत्रा का बैतूल किया गया स्थानातरण निरस्त किया गया।

डॉ मल्होत्रा द्वारा दिनांक 1.9.2000 से दिनांक 4.6.2003 तक के वेतन भुगतान की मांग की गई है किन्तु उपरोक्त वर्णित अवधि में से अधीक्षक केन्द्रीय, जेल भोपाल द्वारा दिनांक 1.9.2000 से दिनांक 11.9.2000 , दिनांक 8.12.2000 से 19.9.2001 एवं दिनांक 29.5.2003 से दिनांक 4.6.2003 का वेतन भुगतान कर दिया गया है। इसी प्रकार संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग के आदेश दिनांक 2.1.2009 के द्वारा दिनांक 12.9.2000 से दिनांक 7.12.2000 तक 87 दिवस का अवकाश स्वीकृत किया जा चुका है।

इस प्रकार दिनांक 20.09.2001 से दिनांक 28.05.2003 (617 दिवस) की अवधि निराकरण हेतु शेष है। अभिलेखों के परीक्षण से पाया गया कि उक्त अवधि में डॉ. मल्होत्रा द्वारा किसी भी संस्था में न तो उपस्थिति दर्ज कराई गई न ही कर्त्तव्यों का निष्पादन पूर्व पदस्थ संस्था में ही किया गया ।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में डॉ डी.एस.मल्होत्रा की कर्त्तव्य से अनुपस्थित अवधि दिनांक 20.09.2001 से 28.05.2003 (कुल 617 दिवस) को न कार्य न वेतन के आधार पर अवैतनिक किया जाता है ।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

/

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

C:\Users\wipro\Desktop\D K Folder\DK Letter02.docx

क्र./01/विज्ञप्त/सेल–5/2013/845 भोपाल, दिनांक 3/06/2013

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

01 विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बी –6 चार ईमली भोपाल म.प्र।

02. निज सहायक मान. राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बी –4 सिविल लाईन्स प्रोफेसर कालोनी भोपाल म.प्र।

03 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

04 सचिव, म.प्र. शासन, जेल विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

05 अपर संचालक(प्रशासन), /एम०आई०एस स्थानीय कार्यालय, भोपाल,म०प्र०।

06 संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल म०प्र०।

07 जिलाध्यक्ष जिला भोपाल म०प्र० ।

08 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल म०प्र०।

09 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला भोपाल म०प्र०।

10 अधीक्षक, केन्द्रीय जेल भोपाल, म०प्र०।

11 जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल म०प्र०।

12 अधीक्षक, सिविल अस्पताल बैरागढ़ जिला भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि डॉ मल्होत्रा के प्रकरण में तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर अवगत करावे।

13 डॉ ओ०एस०मल्होत्रा, सेवा निवृत्त चि०अ०, सेक्टर ए–7 , टीला जमालपुरा, भोपाल,म०प्र०।

14 आदेश नस्ती।

(हस्ताक्षर) 03/06/13

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

C:\Users\wipro\Desktop\D K Folder\SK Letter03.docx